भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4540
19.07.2019 को उत्तर के लिए

वन नीति में संशोधन

4540. श्री रेबती त्रीपुरा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संतोष कुमार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मौजूदा वन नीति को अधिक जन-हितैषी और पर्यावरण-हितैषी बनाने के लिए संशोधित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) वर्तमान वन नीति में उक्त संशोधनों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को संशोधित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 को तैयार किया था। सभी मुख्य हितधारकों के साथ विस्तृत और व्यापक परामर्श प्रक्रियाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं को शामिल करने के बाद, प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2019 को तैयार किया गया। प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2019 का मुख्य जोर वनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के साथ-साथ जनजातियों और वन पर निर्भर लोगों के हितों की सुरक्षा करने पर है।

नई राष्ट्रीय वन नीति को अपनाने के लिए अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। अभी के लिए मौजूदा वन नीति, 1988 ही परिचालन में है।

******